अध्याय 6

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तपोषण

मुख्य अंश

- समीक्षा अवधि 2016–22 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹ 34,100.85 करोड़ (भारत सरकार के अंश ₹ 13,165.17 करोड़ सहित) का बजट प्रावधान किया। इसमें से विभाग ने स्वास्थ्य सेवा पर ₹ 27,989.97 करोड़ (82 प्रतिशत) खर्च किए।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) के लक्ष्य जीएसडीपी के 2.5 प्रतिशत से कम था एवं 2016–22 की समीक्षा अवधि के दौरान राज्य जीएसडीपी के 1.15 एवं 1.64 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया व्यय, कुल व्यय की तुलना में वर्ष 2016–17 के 5.72 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 7.66 प्रतिशत हुआ परंतु यह आठ प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा।
- वर्ष 2016–22 की अवधि के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 2,138.91 करोड़ हुआ जो कि कुल ₹ 25,851.06 करोड़ के राजस्व व्यय का 7.64 प्रतिशत था।
- वर्ष 2016–22 के दौरान एनएचपी, 2017 में प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवाओं पर दो तिहाई (66.67 प्रतिषत) व्यय का लक्ष्य किसी भी वर्ष हासिल नहीं किया जा सका एवं यह 30 से 34 प्रतिशत के बीच रहा ।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब तक (नवंबर 2022) कोई राज्य स्वास्थ्य नीति तैयार नहीं की गई है।
- भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वर्ष 2016–22 के दौरान क्रमशः ₹ 3,576.02 करोड़ एवं ₹ 3,236.88 करोड़ जारी किए। एनएचएम के पास ब्याज एवं प्रारंभिक शेष राशि सहित उपलब्ध ₹ 7,263.47 करोड़ की कुल राशि में से 31 मार्च 2022 तक ₹ 6,486.08 करोड़ का उपयोग किया गया एवं ₹ 777.39 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। इस प्रकार एनएचएम के अंतर्गत निधि का कुल उपयोग 66 प्रतिशत (2021–22) एवं 73 प्रतिशत (2016–17) के मध्य रहा।
- निर्माण एवं क्रय के लिए केन्द्रीकृत नोडल एजेंसी होने के नाते सीजीएमएससीएल को स्वास्थ्य विभाग से निधि प्राप्त हुई। वर्ष 2016–22 के दौरान उपलब्ध कुल ₹ 3,628.01 करोड़ के मुकाबले, उन्होंने केवल ₹ 2,754.60 करोड़ खर्च किए एवं शेष ₹ 873.41 करोड़ 31 मार्च 2022 तक सीजीएमएससीएल के पास अव्ययित रहे। आगे, सीजीएमएससीएल ने कोई अभिलेख संधारित नहीं किए एवं प्रत्येक वर्ष के लिए निधि की आवश्यकता के आकलन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। प्राप्त मांग के आधार पर आवश्यकता का आकलन किए बिना, छत्तीसगढ़ शासन से निधि की मांग तदर्थ आधार पर की गई थी।
- सीजीएमएससीएल द्वारा चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से वसूले गए ₹ 37.72 करोड़ क्षतिपूर्ति राशि को अपनी आय माना गया, जिस पर उसने ₹ 11.54 करोड़ का आयकर भुगतान किया।

- कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 2020–22 के दौरान राज्य बजट से ₹ 1,391.74 करोड़ आबंटित किए। हालांकि, इस अवधि में राज्य बजट के आबंटन से ₹ 135.85 करोड़ अधिक व्यय हुआ ।
- छत्तीसगढ़ शासन ने 2019–22 के दौरान एसडीआरएफ के तहत ₹ 242.37 करोड़ आबंटित किए एवं इसमें से ₹ 239.06 करोड़ मार्च 2022 तक क्वारंटाइन शिविरों के प्रबंधन, पीपीई किट, दवाओं एवं उपकरण परीक्षण किटों, प्रयोगशालाओं के क्रय के लिए व्यय किए गए एवं शेष ₹ 3.31 करोड़ कार्यान्वयन एजेंसियों के पास रखे गए हैं।
- स्वास्थ्य सेवा के अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तैयारी पैकेज (ईसीआरपी) के तहत एनएचएम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया एवं कुल आबंटन ₹ 788.69 करोड़ में से मार्च 2022 तक मात्र ₹ 328.21 (41.61 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

6.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (एनएचपी) समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का संभाव्य प्राप्तियोग्य लक्ष्य प्रस्तावित करती है। इसमें परिकल्पना की गई है कि राज्यों को संसाधनों का आबंटन राज्य विकास संकेतकों, अवशोषण क्षमता एवं वित्तीय संकेतकों से जुड़ा होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के लिए वृद्धिशील राज्य संसाधनों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक प्रमुख आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि उपलब्ध सार्वजनिक निधियों को संगठनों को उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाए।

6.2 लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

छत्तीसगढ़ में, राज्य स्वास्थ्य बजट में दो तत्व शामिल हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निधि एवं भारत सरकार से प्राप्त निधि, इसके अलावा जिला खनिज निधि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, कॉर्पोरेट एवं बाहरी अनुदान/सहायता जैसे अन्य स्रोत भी शामिल हैं। स्वास्थ्य बजट का आबंटन स्वास्थ्य सेवा के अधोसंरचना, मानव संसाधनों के वेतन एवं मजदूरी, दवाओं, औषधियों, उपकरणों एवं उपभोग्य सामग्रियों आदि की खरीद के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निधि प्रवाह का विवरण ***चार्ट – 6.1*** मे दर्शाया गया है :

चार्ट – 6.1:छत्तीसगढ़ मे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निधि का प्रवाह

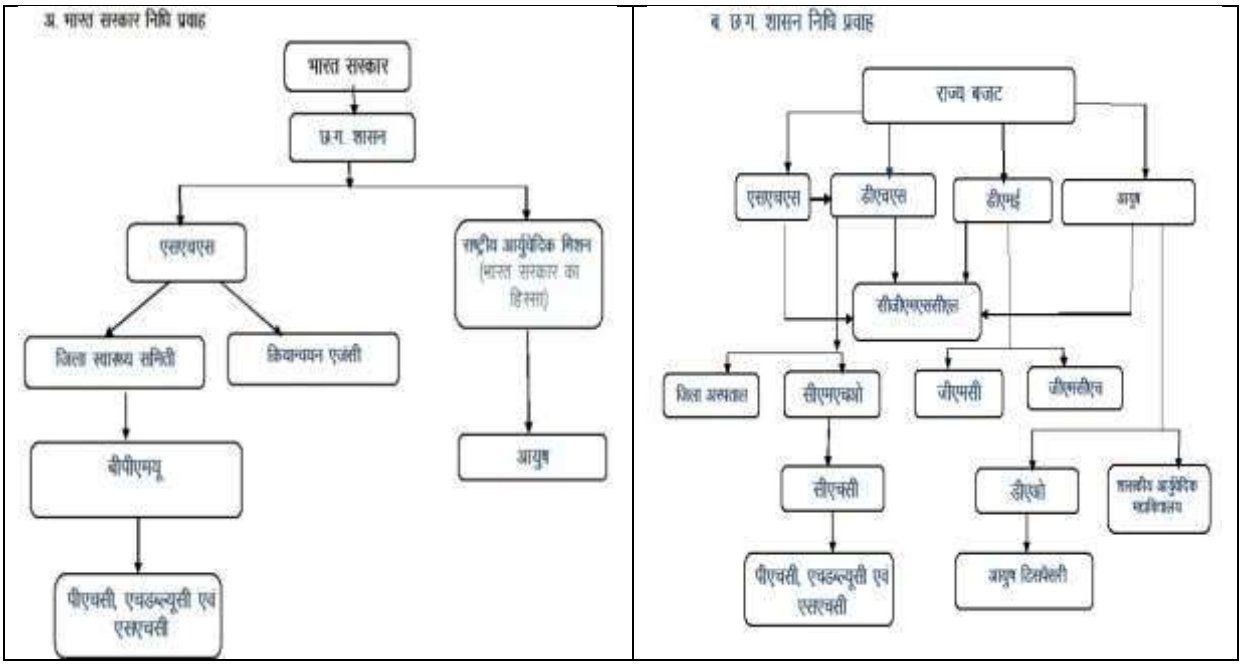

6.2.1 स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र मे आबंटन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) के वर्ष 2016–22 के दौरान कुल बजट प्रावधान एवं कुल व्यय का विवरण *तालिका – 6.1* मे प्रदर्शित है :

तालिका – 6.1: विभाग का वर्षवार कुल बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान			कुल व्यय			बचत (प्रतिशत में)	
	भारत सरकार का अंश	छ.ग. शासन	कुल[1]	भारत सरकार	छ.ग. शासन	कुल	भारत सरकार	छ.ग. शासन
2016–17	1,703.27	2,471.51	4,174.78	1,280.01	2,017.67	3,297.68	423.26 (24.85)	453.84 (18.36)
2017–18	1,834.42	2,911.74	4,746.16	1,655.97	2,356.28	4,012.25	178.45 (9.73)	555.46 (19.08)
2018–19	2,187.49	3,056.99	5,244.48	1,522.74	2,238.48	3,761.22	664.75 (30.39)	818.51 (26.78)
2019–20	2,180.22	3,326.68	5,506.90	1,823.93	2,852.79	4,676.72	356.29 (16.34)	473.89 (14.25)
2020–21	2,230.31	4,553.06	6,783.37	2,035.49	3,654.01	5,689.50	194.82 (8.74)	899.05 (19.75)
2021–22	3,029.46	4,615.70	7,645.16	2,762.09	3,790.51	6,552.60	267.37 (8.83)	825.19 (17.88)
कुल	**13,165.17**	**20,935.68**	**34,100.85**	**11,080.23**	**16,909.74**	**27,989.97**	**2,084.94 (15.84)**	**4,025.94 (19.23)**

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) से लिये गये आंकड़े)

[1] स्वास्थ्य बजट हेतु अनुदान संख्या 19, 41, 64, 68, 79 एवं मुख्य शीर्ष 2210, 2211, 2701 एवं 4210 को सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त *तालिका – 6.1* से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने 2016–22 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया एवं भारत सरकार के कोष में 8.74 से 30.39 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ शासन के बजट में 14.25 से 26.78 प्रतिशत तक बचत हुई, जैसा कि अग्रलिखित *चार्ट – 6.2* में दर्शाया गया है।

चार्ट – 6.2: कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत

(प्रतिशत में)

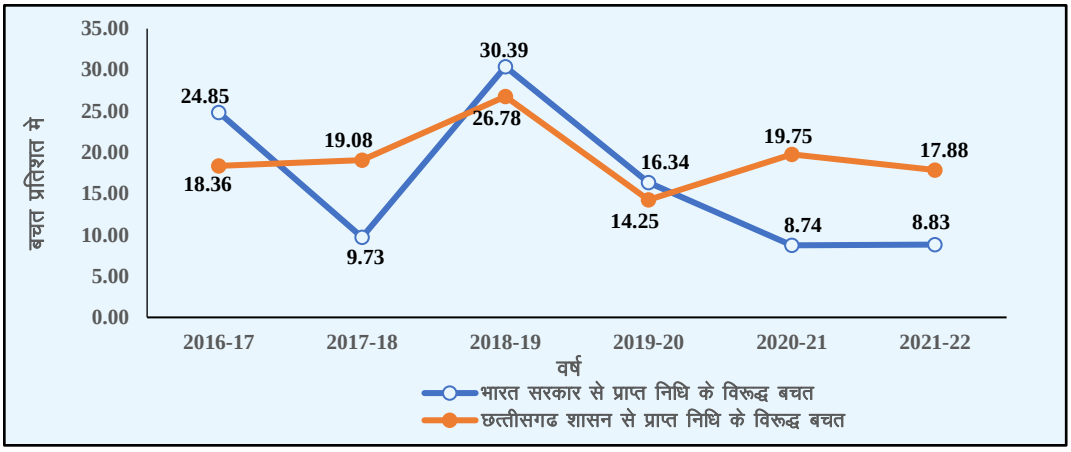

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) से लिये गये आंकड़े)

कुल व्यय में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की निधि का प्रतिशत *चार्ट – 6.3* में दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की निधि से व्यय का अंश 2016–17 (61 प्रतिशत) से घटकर 2021–22 (58 प्रतिशत) हो गया, जबकि भारत सरकार की निधि से व्यय 39 प्रतिशत (2016–17) से बढ़कर 42 प्रतिशत (2021–22) हो गया।

चार्ट – 6.3 : भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के अंश के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत

(प्रतिशत में)

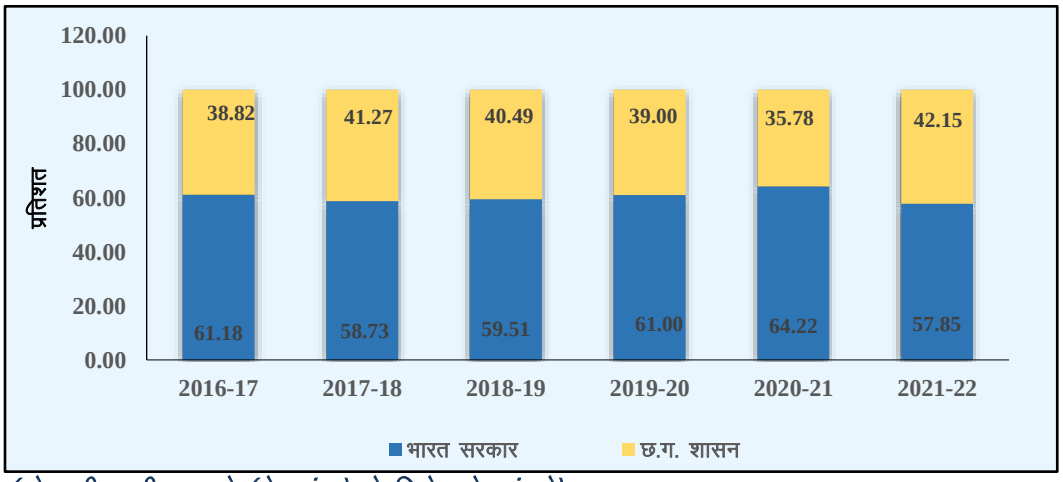

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) से लिये गये आंकड़े)

6.2.2 विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर घटकवार व्यय

विभाग के व्यय के मुख्य घटक वेतन, क्रय, अधोसंरचना कार्य, एनएचएम एवं अन्य अनुदान इत्यादि हैं। 2016–22 के दौरान इन घटकों में किए गए व्यय को *चार्ट – 6.4* में दर्शाया गया है।

चार्ट – 6.4: 2016–22 के दौरान विभाग द्वारा किया गया घटकवार व्यय

(₹ करोड़ मे)

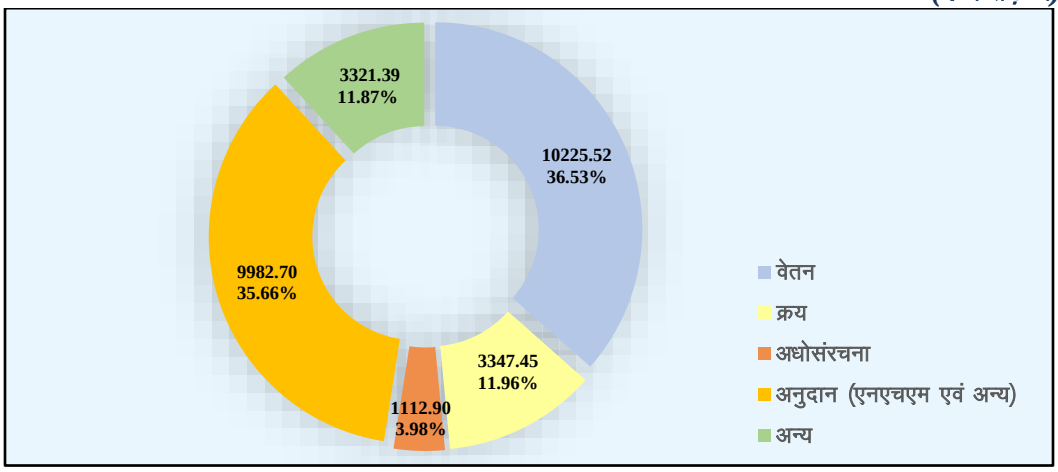

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि विभाग ने 2016–22 की अवधि के दौरान वेतन एवं अनुदान मद में बड़ा व्यय किया। हालांकि, इसी अवधि में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर कुल व्यय का केवल चार प्रतिशत ही खर्च किया गया।

6.2.3 एनएचपी लक्ष्यों की तुलना में विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किया गया कुल व्यय

एनएचपी 2017 में समयबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी प्रावधानित है कि राज्य को वर्ष 2020 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर अपने बजट का आठ प्रतिशत से अधिक व्यय करने का लक्ष्य रखना चाहिए। 2016–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), राज्य का कुल व्यय एवं विभाग द्वारा स्वास्थ्य पर किया गए व्यय का विवरण *तालिका – 6.2* में दिया गया है।

तालिका – 6.2 : वर्षवार जीएसडीपी, कुल व्यय एवं स्वास्थ्य व्यय

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	राज्य का जीएसडीपी	राज्य शासन का कुल व्यय	स्वास्थ्य विभाग का कुल व्यय	प्रति व्यक्ति व्यय[2] ₹	जीएसडीपी के संबंध में स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत	राज्य के कुल व्यय के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6 (4/2*100)	7 (4/3*100)
2016–17	2,62,802	57,635.11	3,297.68	1,298.30	1.25	5.72
2017–18	2,82,266	66,230.71	4,012.25	1,579.63	1.42	6.06
2018–19	3,27,693	73,314.63	3,761.22	1,480.79	1.15	5.13
2019–20	3,44,571	82,043.70	4,676.72	1,841.23	1.36	5.70
2020–21	3,52,161	79,057.03	5,689.50	2,239.96	1.61	7.20
2021–22	4,00,061	85,514.23	6,552.60	2,579.76	1.64	7.66
कुल	**19,69,554**	**4,43,795.41**	**27,989.97**		**1.42**	**6.31**

(स्त्रोत : वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) एवं आर्थिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021–22से लिये गये आंकडे)

[2] जनगणना 2011 के अनुसार 2.54 करोड़ की जनसंख्या

वर्ष 2016–22 के दौरान राज्य के कुल व्यय एवं जीएसडीपी के संबंध में विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत ***चार्ट – 6.5*** में दर्शाया गया है**:**

चार्ट – 6.5: राज्य के कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वास्थ्य पर विभागीय व्यय का प्रतिशत

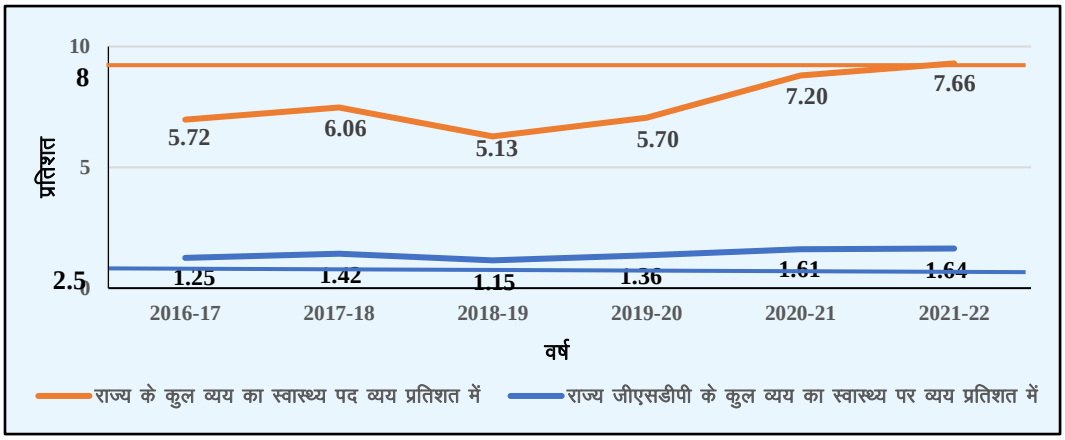

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) एवं आर्थिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021–22 से लिये गये आंकडे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2016–22 की समीक्षा अवधि के दौरान, विभाग द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय, राज्य जीएसडीपी के 1.15 एवं 1.64 प्रतिशत के मध्य था, जोकि 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कम था आगे, यद्यपि कुल राज्य व्यय की तुलना में स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 2016–17 में 5.72 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 7.66 प्रतिशत हो गया, पर यह आठ प्रतिशत के लक्ष्य से कम रहा ।

डीएचएस ने बताया (दिसम्बर 2022) कि बजट प्रस्ताव वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय के आधार पर तैयार किए गए हैं, हालांकि, भविष्य में इसे एनएचपी, 2017 के आधार पर तैयार किया जाएगा।

6.2.4 राजस्व एवं पूंजीगत व्यय

वर्ष 2016–22 के दौरान कुल पूंजीगत बजट प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय को अग्रलिखित ***तालिका – 6.3*** एवं ***चार्ट – 6.6*** में दर्शाया गया है:

तालिका – 6.3: वर्षवार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर पूंजी प्रावधान, कुल राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वास्थ्य पर कुल व्यय	पूंजीगत			राजस्व		
		प्रावधान	व्यय	प्रतिशत (कुल व्यय के सापेक्ष)	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत (कुल व्यय के सापेक्ष)
2016–17	3,297.68	466.71	325	9.86	3,708.08	2,972.68	90.14
2017–18	4,012.25	618.28	401.19	10.00	4,127.88	3,611.06	90.00
2018–19	3,761.22	585.87	214.49	5.70	4,658.61	3,546.73	94.30
2019–20	4,676.72	739.35	361.82	7.74	4,767.55	4,314.90	92.26
2020–21	5,689.50	873.88	511.71	8.99	5,909.48	5,177.79	91.01
2021–22	6,552.60	769.11	324.7	4.96	6,876.06	6,227.90	95.04
कुल	**27,989.97**	**4,053.20**	**2,138.91**	**7.64**	**30,047.66**	**25,851.06**	**92.36**

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) एवं वर्ष 2016–22 के छ.ग. शासन के वित्त लेखो से लिये गये आंकडे)

चार्ट – 6.6 : स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय विरूद्ध राजस्व व्यय (2016–22)

(₹ करोड़ में)

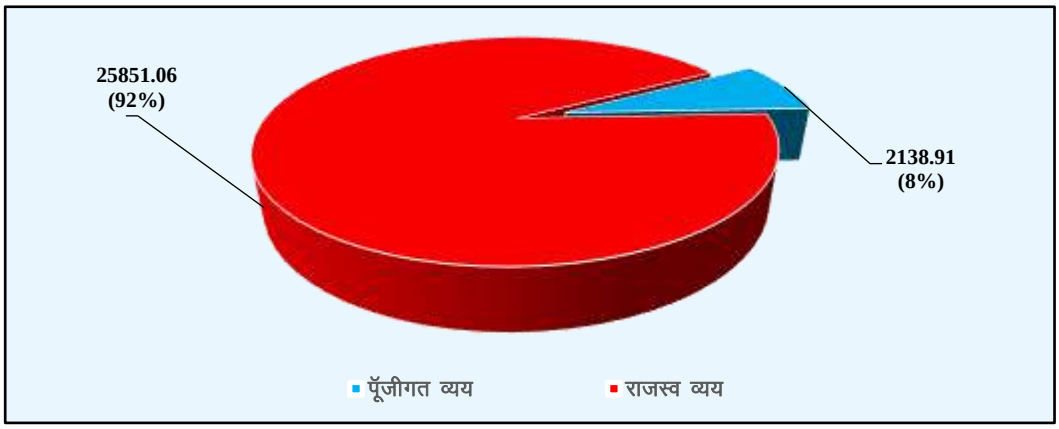

तालिका – 6.3 एवं *चार्ट – 6.6* में स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवा पर पूंजीगत व्यय बहुत कम था, जो वर्ष 2016–22 के दौरान कुल व्यय के 4.96 एवं 10 प्रतिशत के मध्य था। कुल पूंजीगत व्यय केवल 7.64 प्रतिशत था । इसके अलावा, आयुष संचालनालय में, 2016–21 के दौरान उपकरणों के लिए ₹ 8.66 करोड़ के निधि का आबंटन पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष में गलत वर्गीकृत किया गया था। यह भी पाया गया कि छ.ग. शासन ने 2016–22 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 4,053.20 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 2,652.89 करोड़ (65.45 प्रतिशत) आबंटित किए। हालांकि, विभाग केवल ₹ 2,138.91 करोड़ (कुल आबंटन का 80.63 प्रतिशत) का उपयोग करने में सक्षम रहा। विभाग द्वारा कम धनराशि आबंटित किए जाने के कारण, सीजीएमएससीएल को वर्ष 2016–22 के दौरान सौंपे गए 4,360 कार्यों में से स्वास्थ्य संस्थानों[3] के 28 निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जा सके।

6.3 संसाधनों का नियोजन एवं आबंटन

6.3.1 राज्य स्वास्थ्य नीति तैयार नही किया जाना

राज्य को एक व्यापक स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है ताकि एनएचपी के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य आधारित विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करते हुए एनएचपी लक्ष्यों, व्यापक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की योजना बनाई जा सके एवं उसे समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि छ.ग. शासन ने अपने गठन के बाद से राज्य के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य नीति तैयार नहीं की है। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र (एसएचआरसी) ने 2006 में एक स्वास्थ्य नीति का मसौदा तैयार किया था, हालांकि, इसे छ.ग. शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था एवं इसके कारण अभिलेखो में नहीं पाए गए।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2022) के दौरान सचिव ने राज्य स्वास्थ्य नीति तैयार करने का आश्वासन दिया।

6.3.2 संसाधनों का आबंटन

एनएचपी 2017 के अनुसार, कुल स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई (66.67 प्रतिशत) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि

[3] 28 (8 नये स्वास्थ्य संस्थान एवं 20 अन्य कार्य) निधि की अनुपलब्धता के कारण लंबित थे।

बजट में संसाधनों का आबंटन अलग–अलग वित्तीय क्षमता, विकासात्मक आवश्यकताओं एवं उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट जनसंख्या उपसमूहों, भौगोलिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं लिंग संबंधी मुद्दों को लक्षित करके क्षैतिज समानता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय 2016–22 के दौरान एनएचपी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम था, जैसा कि *तालिका – 6.4* में दिया गया है:

तालिका – 6.4: 2016–22 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य पर लक्ष्य विरूद्ध वास्तविक व्यय का विवरण

(₹करोड़ में)

वर्ष	विभाग द्वारा स्वास्थ्य में व्यय	एनएचपी 2017 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य पर लक्षित व्यय (कुल व्यय का 2/3)	प्राथमिक स्वास्थ्य पर वास्तविक व्यय		कमी	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5(4×100/2)	6(3–4)	7(6×100/3)
2016–17	3,297.68	2,198.45	973.95	29.53	1,224.50	55.70
2017–18	4,012.25	2,674.83	1,214.09	30.26	1,460.74	54.61
2018–19	3,761.22	2,507.48	1,290.32	34.31	1,217.16	48.54
2019–20	4,676.72	3,117.81	1,493.55	31.94	1,624.26	52.10
2020–21	5,689.50	3,793.00	1,825.51	32.09	1,967.49	51.87
2021–22	6,552.60	4,368.40	1,944.99	29.68	2,423.41	55.48
कुल	**27,989.97**	**18,659.97**	**8,742.41**		**9,917.56**	

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले एवं ह) से लिये गये आंकड़े)

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2022) कि बजट प्रस्ताव वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर तैयार किए गए हैं, तथापि, भविष्य में इसे एनएचपी, 2017 के आधार पर तैयार किया जाएगा।

6.3.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वित्तपोषण

स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के समर्थन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत समिती या धारा 8 कंपनियों[4] सहित विभिन्न कंपनियों से छ.ग. शासन निधि प्राप्त करता है। एनएचपी, 2017 देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए सीएसआर निधि के उपयोग पर जोर देती है।

- वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान, डीएचएस को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) से सीएसआर के तहत ₹ 20 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कोविड–19 प्रबंधन के लिए किया गया।

[4] धारा 8 के तहत एक कंपनी को कंपनी रूप में संदर्भित तब किया जाता है जब वह एक गैर–लाभकारी संगठन (एनपीओ) के रूप मे पंजीकृत होती है, अर्थात, जब इसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, शिक्षा,दान, पर्यावरण संरक्षण, खेल, विज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म को बढ़ावा देना होता है एवं इन को बढ़ावा देने के लिए अपने लाभ (यदि कोई हो) या अन्य आय का उपयोग करने का इरादा रखता है।

- इसके अलावा, एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के पाँच जिलों यथा बस्तर, बीजापुर, महासमुंद, कांकेर एवं नारायणपुर के लिए ''हेल्थकेयर एसईसीएल स्टैण्ड्स फॉर हेल्थ'' थीम के अंतर्गत ₹ 79.83 करोड़ की राशि आबंटित की। एसईसीएल ने एनएचएम को ₹ 47.89 करोड़ (कुल निधि का 60 प्रतिशत) की पहली किस्त (मार्च 2019) जारी की, जिसमें से एनएचएम द्वारा मार्च 2022 तक केवल ₹ 37.66 करोड़ का उपयोग किया जा सका एवं शेष ₹ 11.17 करोड़ बैंक खाते में रखे गए। निधि का उपयोग न होने के कारण, नवंबर 2022 तक एसईसीएल द्वारा दूसरी किस्त जारी नहीं की गई।
- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ने सीएसआर के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी), रायगढ़ में अधोसंरचना के उन्नयन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹ 100 करोड़ की मंजूरी दी। एमओयू (नवंबर 2019) के अनुसार, 2019–20 में ₹ 25 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएमसी रायगढ़ ने मार्च 2022 तक ₹ 14.71 करोड़ का उपयोग किया एवं शेष ₹ 10.29 करोड़ बैंक खाते में रखे गए। पहली किस्त का उपयोग न होने के कारण नवंबर 2022 तक आगे की किस्तें प्राप्त नहीं हुईं।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सचिव ने कहा (नवंबर 2022) कि एसईसीएल एवं एनटीपीसी द्वारा दूसरी किस्त जारी करवाने में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग समस्त सीएसआर निधियों का उपयोग करने में विफल रहा है तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ही एसईसीएल से दूसरी किस्त की मांग की गई।

6.4 स्वास्थ्य संचालनालयों द्वारा बजट आबंटन एवं व्यय

वर्ष 2016–22 के दौरान राज्य के कुल बजट में से संचालनालयवार बजट आबंटन एवं उससे किए गए व्यय का विवरण *तालिका – 6.5* में दर्शाया गया है ।

तालिका – 6.5: डीएचएस, डीएमई एवं आयुष के आबंटन एवं व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	कुल योग
अ. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (डीएचएस)							
प्रावधान	2916.20	3381.91	3788.12	3667.84	4875.35	5672.18	**24301.6**
आबंटन	2666.27	2882.16	3017.64	3208.47	3945.20	5672.18	**21391.92**
व्यय	2409.08	2977.15	2907.19	3476.46	4415.83	5352.40	**21538.11**
बचत/अतिरिक्त (–)	257.19	–94.99	110.45	–267.99	–470.63	319.78	**–146.19**
बचत/अतिरिक्त (–)%	9.65	–3.30	3.66	–8.35	–11.93	5.64	**–0.68**
ब. संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई)							
प्रावधान	745.87	855.18	946.19	1337.39	1361.74	1449.37	**6695.74**
आबंटन	745.87	855.18	946.19	1337.39	1361.74	1449.37	**6695.74**
व्यय	525.28	666.54	556.00	838.03	903.26	818.11	**4307.22**
बचत/अतिरिक्त (–)	220.59	188.64	390.19	499.36	458.48	631.26	**2388.52**
बचत/अतिरिक्त (–)%	29.57	22.06	41.24	37.34	33.67	43.55	**35.67**

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	कुल योग
स. संचालक आयुष							
प्रावधान	248.43	291.28	290.63	294.52	312.06	318.45	**1755.37**
आबंटन	248.43	291.28	290.63	294.52	312.06	318.45	**1755.37**
व्यय	181.30	225.31	208.59	238.84	233.62	247.21	**1334.87**
बचत/अतिरिक्त (–)	67.13	65.97	82.04	55.68	78.44	71.24	**420.50**
बचत/अतिरिक्त (–)%	27.02	22.65	28.23	18.91	25.14	22.37	**23.96**
कुल योग (अ+ब+स)							
प्रावधान	**3910.5**	**4528.37**	**5024.94**	**5299.75**	**6549.15**	**7440**	**32752.71**
आबंटन	**3660.57**	**4028.62**	**4254.46**	**4840.38**	**5619.00**	**7440.00**	**29843.03**
व्यय	**3115.66**	**3869.00**	**3671.78**	**4553.33**	**5552.71**	**6417.72**	**27180.20**
बचत/अतिरिक्त (–)	**544.91**	**159.62**	**582.68**	**287.05**	**66.29**	**1022.28**	**2662.83**
बचत/अतिरिक्त (–)%	**14.89**	**3.96**	**13.70**	**5.93**	**1.18**	**13.74**	**8.92**

(स्रोतः डीएचएस, डीएमई एवं आयुष द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट आंकड़ों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

जैसा कि ***तालिका – 6.5*** से देखा जा सकता है कि 2016–22 की समीक्षा अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने बजट में स्वास्थ्य के लिए ₹ 32,752.71 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें से ₹ 29,843.03 करोड़ तीनों संचालनालयों को आबंटित किए गए। हालाँकि, इस आबंटन से केवल ₹ 27,180.20 करोड़ का उपयोग किया जा सका। इसलिए, विभाग के पास ₹ 2,662.83 करोड़ की बचत रही, जो बजट के कुल आबंटन का 8.92 प्रतिशत था। 2016–22 की समीक्षा अवधि के दौरान कुल बचत ₹ 66.29 करोड़ (2020–21 में कुल आबंटन का 1.18 प्रतिशत) एवं ₹ 1,022.28 करोड़ (2021–22 में कुल आबंटन का 13.74 प्रतिशत) के मध्य थी। इस प्रकार, पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद, विभाग 2016–22 के दौरान ₹ 2,662.83 करोड़ का उपयोग करने में विफल रहा।

यह भी पाया गया कि तीनों संचालनालयों में से डीएमई अपने आबंटित निधि के बड़े हिस्से का उपयोग करने में विफल रहा एवं ₹ 6,695.74 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹ 2,388.52 करोड़ की बचत हुई, जो 2016–22 की समीक्षा अवधि के दौरान कुल आबंटन का 35.67 प्रतिशत था। यह डीएमई के अनुचित नियोजन एवं योजना के कमजोर कार्यान्वयन को दर्शाता है जो जीएमसी का निर्माण, कॉलेजों में मेडिकल सीटें बढ़ाकर, प्रशिक्षित शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, जीएमसी एवं संलग्न अस्पतालों में आवश्यक अधोसंरचना प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर अपना बजट खर्च करने में विफल रहा।

आयुष संचालनालय भी अपनी उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विफल रहा एवं कुल आबंटन ₹ 1,755.37 करोड़ में से ₹ 420.50 करोड़ की बचत रही जो कुल आबंटन का 23.96 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि आयुष 2016–22 के दौरान अपनी गतिविधियों को पूरी क्षमता से चलाने में विफल रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सचिव ने बताया (नवंबर 2022) कि डीएमई एवं आयुष विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव के कारण अधिक बचत हुई।

उत्तर से स्पष्ट है कि डीएमई एवं आयुष बजट आबंटन के अनुसार निधि का उपयोग करने में विफल रहे।

6.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तपोषण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सुधार पहल है। एनएचएम ने प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई स्वास्थ्य प्रणाली सुधारों की शुरुआत की है। एनएचएम लचीला एवं गतिशील दोनों है एवं इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों, संस्थानों एवं क्षमताओं को मजबूत करके स्वास्थ्य की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में राज्यों का मार्गदर्शन करना है।

एक वित्तीय वर्ष के लिए एनएचएम के अंतर्गत रिर्सोस एनवलप (आरई) में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि, प्रस्तावित बजट आबंटन एवं 2016–22 के दौरान 60:40 के अनुपात में केन्द्र–राज्य का हिस्सा शामिल होता है। भारत सरकार का हिस्सा छत्तीसगढ़ शासन को जारी कर दिया जाता है एवं छत्तीसगढ़ शासन अपने हिस्से के साथ उसे मिशन संचालक, एनएचएम, छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित कर देता है।

वर्ष 2016–22 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत प्राप्तियां एवं व्यय तथा एनएचएम के लिए निधि परिव्यय को *तालिका – 6.6* में दर्शाया गया हैं–

तालिका – 6.6 : 2016–22 के दौरान एनएचएम के तहत प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियॉ						वर्ष के दौरान व्यय एवं प्रतिशत	अंतिम शेष
	उपलब्ध निधि (प्रारंभिक)	भारत सरकार	छ.ग. शासन	वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	समायोजन/अन्य प्राप्तियां	कुल		
2016–17	324.82	397.92	322.54	13.05	–0.21	1058.12	769.63 (73)	288.49
2017–18	288.49	542.71	455.72	17.78	0.35	1305.05	894.72 (69)	410.33
2018–19	410.33	530.40	394.13	12.33	–0.28	1346.91	896.93 (67)	449.98
2019–20	449.98	629.77	585.68	69.26	–2.49	1732.20	1,149.39 (66)	582.81
2020–21	582.81	738.76	593.53	22.46	0.16	1937.72	1,287.80 (66)	649.92
2021–22*	649.92	736.46	885.28	9.04	–15.70	2265.00	1,487.61 (66)	777.39
कुल		**3,576.02**	**3,236.88**	**143.92**	**–18.17**	**9645.00**	**6,486.08**	

(स्रोतः एनएचएम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

*अन–अंकेक्षित आंकड़ा

तालिका – 6.6 से स्पष्ट है कि एनएचएम के तहत किए गए ₹ 6,486.08 करोड़ का व्यय 2016–22 के दौरान विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के कुल व्यय (₹ 27,989.97 करोड़)

का 23.17 प्रतिशत था। एनएचएम ने इस अवधि के दौरान कुल उपलब्ध निधि ₹ 7,263.47 करोड़[5] में से केवल ₹ 6,486.08 करोड़ का उपयोग किया गया, जिसमें 31 मार्च 2022 तक ₹ 777.39 करोड़ शेष था। निधि का कुल उपयोग 66 प्रतिशत (2021–22) एवं 73 प्रतिशत (2016–17) के मध्य था । यह मिशन संचालक एनएचएम की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी की कमी को दर्शाता है, जो इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य में नोडल एजेंसी है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव ने कहा (नवंबर 2022) कि प्रमुख बचत एनएचएम में 7,000 रिक्त पदों के कारण हुई, जिन्हें भरा नहीं जा सका एवं कोविड–19 स्थिति के कारण धन का उपयोग नहीं किया जा सका।

एनएचएम के तहत वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर **अध्याय 7: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन** में चर्चा की गई है ।

6.6 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत वित्तपोषण

6.6.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निधियों का उपयोग न किया जाना

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) केन्द्र प्रायोजित प्रमुख मिशन है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के एक भाग के रूप में आयुष सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एनएएम के दिशा–निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन वार्षिक आधार पर (मई के पहले सप्ताह में) राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी के लिए एनएएम को प्रस्तुत करती है। एसएएपी में प्रशासनिक लागत, फ्लेक्सी पूल एवं एनएएम के तहत मुख्य गतिविधियों[6] के घटक शामिल हैं। राज्य आयुष मिशन समिति राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। समिति को जारी अनुदान सहायता का उपयोग भारत सरकार द्वारा इसकी मंजूरी जारी करने की तारीख से 12 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016–22 की अवधि के दौरान, समिति को एसएएपी में उल्लेखित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ₹ 116.21 करोड़ प्राप्त हुए थे। उपलब्ध निधियों में से केवल ₹ 51.85 करोड़ (45 प्रतिशत) का उपयोग किया गया तथा शेष ₹ 64.36 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका, जैसा कि *तालिका – 6.7* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है –

---

[5] कुल उपलब्ध निधि ₹ 324.82 करोड़ (2016–17 का ओबी) + ₹ 3,576.02 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा) + ₹ 3,236.88 करोड़ (छत्तीसगढ़ शासन का हिस्सा) + ₹ 125.75 करोड़ (समायोजन के साथ अन्य ब्याज प्राप्तियां) = ₹ 7,263.47 करोड़)

[6] मुख्य गतिविधियों में आयुष सेवाएं, आयुष शैक्षणिक संस्थान, एएसयू एवं एच दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण, औषधीय पौधे एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र शामिल हैं।

तालिका– 6.7: समिति द्वारा आबंटित धनराशि, व्यय एवं उपयोग का विवरण।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त निधि (भारत सरकार + राज्य का हिस्सा)	व्यय	समिति के अनुसार अप्रयुक्त निधि	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	प्रस्तुत न किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रतिशत	समिति खाते में प्राप्त ब्याज राशि
ए	बी	सी	डी	ई	एफ= (सीई) / सी×100	जी
2016–17	19.27	17.24	2.03	9.45	45	0.20
2017–18	20.29	17.49	2.80	10.23	42	0.10
2018–19	17.78	9.95	7.83	2.88	71	0.43
2019–20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.46
2020–21	44.85	7.17	37.68	4.24	41	0.22
2021–22	14.02	0.00	14.02	0.00	0	1.62
कुल	**116.21**	**51.85**	**64.36**	**26.80**	**..**	**3.03**

(स्रोतः आयुष संचालनालय से प्राप्त आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

वर्ष 2016–22 की अवधि के दौरान निधियों का अनुपयोग 41 से 71 प्रतिशत तक था, जबकि 2021–22 में उपयोग शून्य था, जो दर्शाता है कि एनएएम की गतिविधियों की भौतिक प्रगति पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, 2019–20 के लिए एसएएपी को न तो अंतिम रूप दिया गया एवं न ही समिति द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित किया गया। परिणामस्वरूप, उस विशेष वर्ष में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2016–22 के दौरान, समिति ने ₹ 3.03 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसे छत्तीसगढ़ शासन को वापस करने के बजाय समिति के बैंक खातों में रखा गया था।

छत्तीसगढ़ शासन ने जवाब दिया (दिसम्बर 2022) कि समिति के खातों में शेष राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 2.84 करोड़ वापस कर दिए गए हैं (अप्रैल 2022)। इसके अलावा, निधियों का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि आबंटित कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा तय समय में पूरा नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा निगरानी की कमी एवं कार्यकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के अभाव में ₹ 64.36 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त रह गई।

6.6.2 छत्तीसगढ़ शासन से समिति को एनएएम निधि जारी करने में विलंब

भारत सरकार राज्य को एनएएम फंड जारी करती है जिसे योजना के कार्यान्वयन के लिए 40 प्रतिशत राज्य हिस्सेदारी शामिल करने के बाद कोषालय के माध्यम से समिति को हस्तांतरित किया जाता है। समिति योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला आयुर्वेद अधिकारियों (डीएओ) को धन हस्तांतरित करती है।

यह देखा गया कि 2016–22 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने स्वयं के मिलान वाले हिस्से को शामिल करने के बाद चार से 526 दिनों की देरी से धनराशि जारी की (*परिशिष्ट – 6.1*) जैसा कि *चार्ट – 6.7* में दर्शाया गया है–

चार्ट – 6.7: निधि प्रदान करने में वर्षवार अधिकतम एवं न्यूनतम देरी को दर्शाने वाला चार्ट

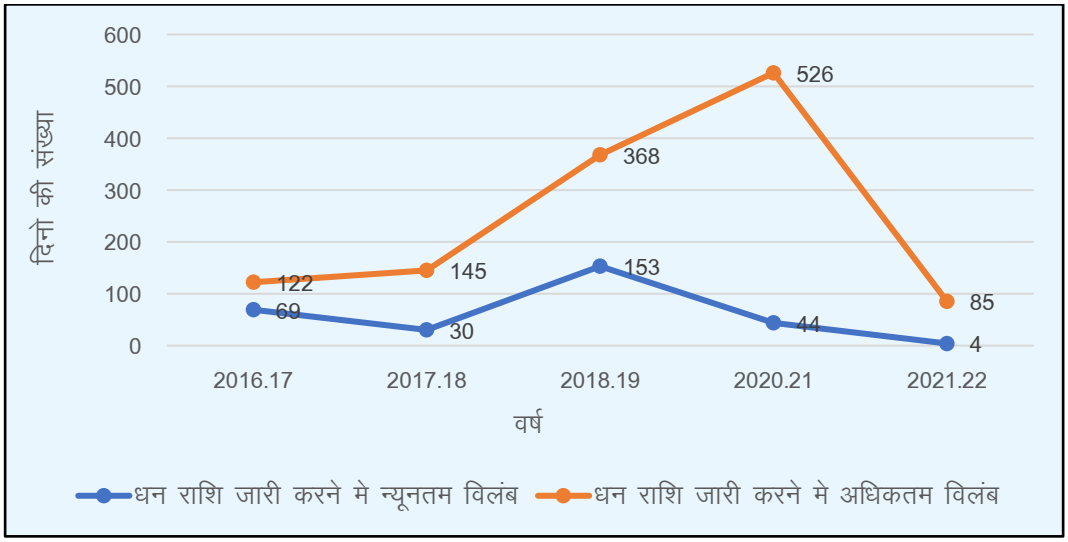

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (दिसम्बर 2022) कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष के नवंबर–दिसम्बर माह में एसएएपी के अनुसार निधि स्वीकृत करती है। भारत सरकार से प्राप्त निधियों के साथ छत्तीसगढ़ शासन के मिलान अंश की निकासी की प्रक्रिया कोषालय द्वारा की जाती है। उपरोक्त कारणों से समिति को देरी से निधि प्राप्त हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समिति द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए था, लेकिन 2018–19 एवं 2020–21 में धनराशि एक वर्ष से अधिक की देरी से प्राप्त हुई।

6.7 सीजीएमएससीएल में वित्तीय प्रबंधन

सीजीएमएससीएल एक केन्द्रीकृत नोडल एजेंसी है, जो राज्य में दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों एवं उपकरणों की खरीद के साथ–साथ स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण के लिए डीएचएस, डीएमई एवं आयुष जैसे विभागों से निधि प्राप्त करती है। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधि को उपयोगकर्ता विभाग को सौंपना सीजीएमएससीएल की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा ने सीजीएमएससीएल में निधि प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कमियाँ देखीं।

6.7.1 अप्रयुक्त निधि को छत्तीसगढ़ शासन को समर्पित न करने के कारण सीजीएमएससीएल के पास निधियों का अवरुद्ध होना

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (अप्रैल 2014) के अनुसार, दवा, औषधियों एवं उपकरणों की खरीद तथा बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों से संबंधित बजट का 40 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में सीजीएमएससीएल को आबंटित किया जाना था। शेष 60 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अक्टूबर माह में आरंभिक राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी की जानी थी।

सीजीएमएससीएल द्वारा डीएचएस, डीएमई, आयुष एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि, व्यय एवं वर्ष के अंत में शेष का विवरण *तालिका – 6.8* में दर्शित है :

तालिका – 6.8 : डीएचएस, डीएमई, आयुष एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि, व्यय एवं अंतिम शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधि का स्रोत	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियॉ	व्यय	अंतिम शेष	उपयोग प्रतिशत
2016–17	डीएचएस	86.20	157.97	137.08	107.08	56.14
	डीएमई	78.55	72.43	34.84	116.14	23.08
	आयुष	25.83	33.79	7.06	52.56	11.84
	अन्य	7.45	1.17	1.02	7.60	11.83
	कुल	**198.03**	**265.36**	**180.01**	**283.39**	**38.85**
2017–18	डीएचएस	107.08	203.12	229.50	80.71	73.98
	डीएमई	116.14	91.33	83.10	124.37	40.05
	आयुष	52.56	50.49	26.35	76.70	25.57
	अन्य	7.60	0.55	1.60	6.55	19.63
	कुल	**283.39**	**345.50**	**340.55**	**288.33**	**54.15**
2018–19	डीएचएस	80.71	207.38	224.47	63.61	77.92
	डीएमई	124.37	104.92	84.02	145.27	36.64
	आयुष	76.70	24.05	32.63	68.12	32.39
	अन्य	6.55	0.37	0.16	6.76	2.31
	कुल	**288.33**	**336.72**	**341.29**	**283.77**	**54.60**
2019–20	डीएचएस	63.61	286.41	240.48	109.54	68.70
	डीएमई	145.27	69.81	102.85	112.23	47.82
	आयुष	68.12	24.00	34.72	57.40	37.69
	अन्य	6.76	2.50	3.22	6.04	34.77
	कुल	**283.77**	**382.72**	**381.27**	**285.22**	**57.21**
2020–21	डीएचएस	109.54	902.40	718.94	293.00	71.05
	डीएमई	112.23	132.53	64.59	180.17	26.39
	आयुष	57.40	18.65	22.66	53.39	29.80
	अन्य	6.04	1.60	3.28	4.36	42.93
	कुल	**285.22**	**1055.18**	**809.47**	**530.93**	**60.39**
2021–22	डीएचएस	293.00	877.39	602.87	567.52	51.51
	डीएमई	180.17	122.75	75.73	227.19	25.00
	आयुष	53.39	38.51	22.96	68.94	24.98
	अन्य	4.36	5.86	0.46	9.76	4.50
	कुल	**530.93**	**1,044.51**	**702.02**	**873.41**	**44.56**
कुल योग (2016–22	**डीएचएस**	**86.20**	**2,634.67**	**2,153.35**	**567.52**	**79.14**
	डीएमई	**78.55**	**593.77**	**445.13**	**227.19**	**66.21**
	आयुष	**25.83**	**189.49**	**146.38**	**68.94**	**67.98**
	अन्य	**7.45**	**12.05**	**9.74**	**9.76**	**49.95**
	कुल	**198.03**	**3,429.98**	**2,754.60**	**873.41**	**75.93**

(स्रोत : सीजीएमएससीएल के अभिलेखो से संकलित)

2016–22 के दौरान , सीजीएमएससीएल को स्वास्थ्य संचालनालयों से ₹ 3,429.98 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जो इन संचालनालयों के कुल व्यय का 12.62 प्रतिशत[7] है। हालांकि, इस अवधि में सीजीएमएससीएल द्वारा निधियों का उपयोग 38.85 प्रतिशत (2016–17) एवं 60.39 प्रतिशत (2020–21) के बीच रहा। वर्ष 2016–22 के दौरान सीजीएमएससीएल के पास उपलब्ध कुल ₹ 3,628.01 करोड़[8] की निधि के विरूद्ध केवल ₹ 2,754.60 करोड़ (76 प्रतिशत) व्यय किए एवं शेष ₹ 873.41 करोड़ सीजीएमएससीएल के पास 31 मार्च 2022 तक अव्ययित रह गए।

इसी अवधि के दौरान, वर्षवार डीएचएस द्वारा निधि उपयोग 51.51 प्रतिशत (2021–22) एवं 77.92 प्रतिशत (2018–19) के बीच रहा। इसी तरह, डीएमई के लिए, यह 23.08 प्रतिशत (2016–17) एवं 47.82 प्रतिशत (2019–20) के बीच रहा। आयुष के लिए यह 11.84 प्रतिशत (2016–17) एवं 37.69 प्रतिशत (2019–20) के बीच रहा। इस प्रकार, डीएचएस में अधोसंरचना एवं दवाओं के मद में क्रमशः ₹ 382.32 करोड़ एवं ₹ 138.01 करोड़ तथा डीएमई में उपकरण मद में ₹ 192.69 करोड़ का बड़ा बचत रहा।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सीजीएमएससीएल ने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संचालनालय से प्राप्त निधियों के विरुद्ध उपयोग को रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की। पहली किस्त का उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए बिना संचालनालय से तदर्थ आधार पर निधि की मांग की गई थी। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल ने विभाग से प्राप्त जारी/स्वीकृति आदेश, अपने खाते में निधि प्राप्त होने की तारीख, निधि के शीर्ष, निधि के उद्देश्य आदि से संबंधित अभिलेखो को ठीक से संधारित नहीं किया, जो कमजोर निधि प्रबंधन को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि संचालनालय भी छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (अप्रैल 2014) का पालन करने में विफल रहे, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 40 प्रतिशत की पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही संचालनालयों द्वारा निधि का 60 प्रतिशत की दूसरी किस्त अक्टूबर में जारी की जानी थी।

कमजोर निधि प्रबंधन के कारण, सीजीएमएससीएल के बैंक खाते में ₹ 283.39 करोड़ (2016–17) एवं ₹ 873.41 करोड़ (2021–22) के बीच की भारी अव्ययित शेष राशि पड़ी थी, जो इसी वर्ष के दौरान राज्य के कुल स्वास्थ्य बजट का 6.79 प्रतिशत से 11.42 प्रतिशत थी।

6.7.2 समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सीजीएमएससीएल ने 15 अप्रैल 2014 के छ.ग. शासन के आदेश के तहत नियमित रूप से छत्तीसगढ़ शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। जब भी विभाग द्वारा आवश्यकता या मांग की गई थी तब सीजीएमएससीएल द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र को तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल द्वारा इनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था, जो इसके द्वारा कमजोर अभिलेख संधारण को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, सीजीएमएससीएल ने 2014–15 से 2020–21 की अवधि के लिए आयुष को उपयोगिता प्रमाण पत्र नवंबर 2020 में ही भेजा था। इसका एक उदाहरण चित्र – 1 में दिखाया गया है –

[7] (₹ 3429.98/27180.20) × 100 = 12.62 प्रतिशत

[8] ₹ 198.03 (प्रारंभिक शेष) + ₹ 3,429.98 (कुल प्राप्ति) = ₹ 3,628.01

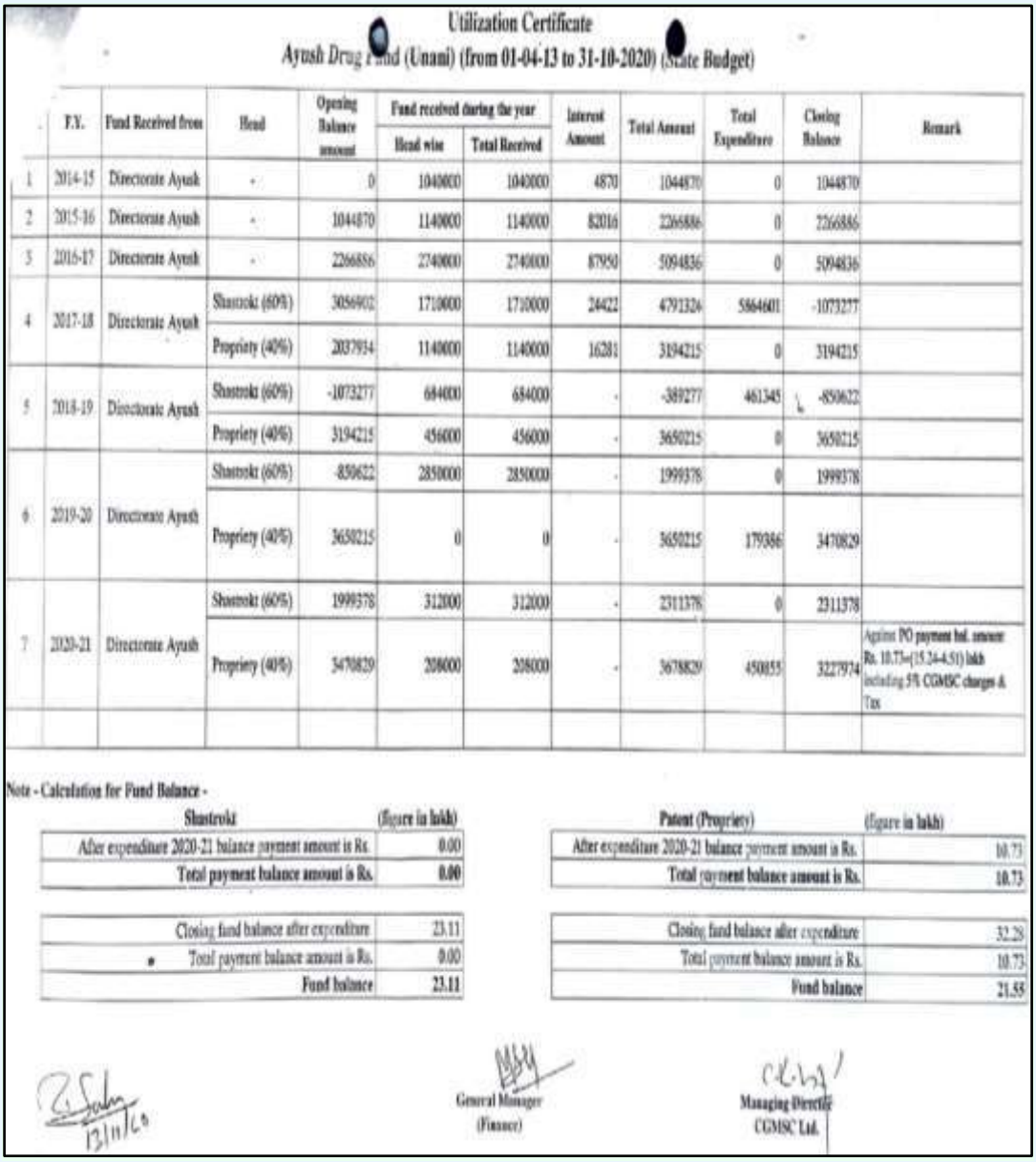

Utilization Certificate

Ayush Drug Fund (Unani) (from 01-04-13 to 31-10-2020) (State Budget)

	F.Y.	Fund Received from	Head	Opening Balance amount	Fund received during the year		Interest Amount	Total Amount	Total Expenditure	Closing Balance	Remark
					Head wise	Total Received					
1	2014-15	Directorate Ayush	-	0	1040000	1040000	4870	1044870	0	1044870	
2	2015-16	Directorate Ayush	-	1044870	1140000	1140000	82016	2266886	0	2266886	
3	2016-17	Directorate Ayush	-	2266886	2740000	2740000	87950	5094836	0	5094836	
4	2017-18	Directorate Ayush	Shastroki (60%)	3056902	1710000	1710000	24422	4791324	5864601	-1073277	
			Propriety (40%)	2037934	1140000	1140000	16281	3194215	0	3194215	
5	2018-19	Directorate Ayush	Shastroki (60%)	-1073277	684000	684000	-	-389277	461345	-850622	
			Propriety (40%)	3194215	456000	456000	-	3650215	0	3650215	
6	2019-20	Directorate Ayush	Shastroki (60%)	-850622	2850000	2850000	-	1999378	0	1999378	
			Propriety (40%)	3650215	0	0	-	3650215	179386	3470829	
7	2020-21	Directorate Ayush	Shastroki (60%)	1999378	312000	312000	-	2311378	0	2311378	
			Propriety (40%)	3470829	208000	208000	-	3678829	450855	3227974	Against PO payment bal. amount Rs. 10.73=(15.24-4.51) lakh including 5% CGMSC charges & Tax

Note - Calculation for Fund Balance -

Shastroki	(figure in lakh)
After expenditure 2020-21 balance payment amount is Rs.	0.00
Total payment balance amount is Rs.	0.00
Closing fund balance after expenditure	23.11
Total payment balance amount is Rs.	0.00
Fund balance	23.11

Patent (Propriety)	(figure in lakh)
After expenditure 2020-21 balance payment amount is Rs.	10.73
Total payment balance amount is Rs.	10.73
Closing fund balance after expenditure	32.28
Total payment balance amount is Rs.	10.73
Fund balance	21.55

13/11/20

General Manager (Finance)

Managing Director CGMSC Ltd.

चित्र 1: आयुष निधि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जिसे सीजीएमएससीएल द्वारा आयुष को प्रदान किया गया

6.7.3 छत्तीसगढ़ शासन निधि में क्षतिपूर्ति का जमा नहीं किया जाना

सीजीएमएससीएल दवाओं, उपकरणों एवं निर्माण गतिविधियों की खरीद के लिए विभाग की केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। सीजीएमएससीएल दवाओं, उपकरणों एवं निर्माण गतिविधि के संबंध में की गई सभी खरीद के लिए पाँच प्रतिशत की दर से प्रशासनिक शुल्क वसूलती है।

सीजीएमएससीएल ने अनुबंध के अनुसार राज्य स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इंडेंट/मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति में चूक के कारण आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से 2016–22 की अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति (एलडी) के रूप में ₹ 37.72 करोड़ वसूल किए हैं, जैसा कि *तालिका – 6.9* में विस्तृत है :

तालिका – 6.9: आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से एकत्रित क्षतिपूर्ति का विवरण

क्रमांक	वर्ष	क्षतिपूर्ति वसूली (₹ करोड़ में)	कुल अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल कर राशि	क्षतिपूर्ति को आय के रूप में मान्यता देने के कारण कर भार की राशि (₹ करोड़ में)
1	2016–17	2.81	3.95	1.98	0.93
2	2017–18	6.14	8.57	4.74	2.03
3	2018–19	5.81	4.51	3.33	1.60
4	2019–20	6.92	7.32	3.19	2.31
5	2020–21	5.71	4.08	1.65	1.66
6	2021–22#	10.33	खाते अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं		3.01
	कुल	**37.72**			**11.54**

(स्रोत– सीजीएमएससीएल के अभिलेख से संकलित)
(# अस्थायी आंकडें)

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2021) कि सीजीएमएससीएल ने क्षतिपूर्ति को इंडेंट (मांग) करने वाले विभाग को वापस करने/जमा करने के बजाय अपनी आय के रूप में दर्ज किया है। चूंकि क्षतिपूर्ति, इंडेंट करने वाले विभाग की और से किए गए अनुबंध के लिए प्राप्त की गई थी, जिसके लिए सीजीएमएससीएल ने प्रशासनिक व्यय का दावा किया है, इसलिए अनुबंध की गैर–सेवा से उत्पन्न होने वाली कोई भी आय पीड़ित पक्ष यानी विभाग को मिलनी चाहिए। इसलिए क्षतिपूर्ति को सीजीएमएससीएल की आय के रूप में मानना उचित नहीं है एवं इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन को ₹ 37.72 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

क्षतिपूर्ति को अपनी आय मानने के कारण ₹ 11.54 करोड़ का आयकर चुकाया था (जैसा कि *तालिका – 6.9* में विस्तृत है), जिसे टाला जा सकता था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2022) तथा इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

6.8 कोविड–19 के अंतर्गत वित्तीय सहायता

6.8.1 राज्य बजट

छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान एसडीआरएफ तथा योजना शीर्ष 6441– "कोविड –19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार" के तहत विभाग को संविदा कर्मचारियों के वेतन, दवाओं एवं उपकरणों की खरीद, परीक्षण किट, उपभोग्य सामग्रियों एवं अन्य सहायक गतिविधियों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। कोविड–19 के योजना शीर्ष के तहत वर्षवार आबंटन एवं व्यय अग्रलिखित *तालिका – 6.10* में दिया गया है –

तालिका – 6.10: कोविड–19 के तहत छत्तीसगढ़ शासन का बजट आबंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटित बजट	व्यय	बचत/अतिरेक
2020–21	485.65	485.65	435.41	50.23
2021–22	907.88	906.10	1092.18	–186.08
कुल	**1393.53**	**1391.74**	**1527.59**	**–135.85**

(स्रोतः वीएलसी, प्र.म.ले (ले. एवं ह) से लिये गये आंकडे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2020–22 की अवधि के दौरान, कोविड –19 गतिविधियों के प्रबंधन के लिए लगे संविदा कर्मचारियों के वेतन एवं दवाओं की खरीद के मद में धनराशि के अल्प आबंटन के कारण प्राप्त आबंटन से ₹ 135.85 करोड़ अधिक व्यय हुआ ।

6.8.2 राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ)

छत्तीसगढ़ शासन ने कोविड–19 से बचाव के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु विभाग को वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान एसडीआरएफ के तहत क्रमशः ₹ 15 करोड़, ₹ 177.37 करोड़ एवं ₹ 50 करोड़ की धनराशि प्रदान की। आबंटित ₹ 242.37 करोड़ की धनराशि में से, मार्च 2022 तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने कोविड–19 से बचाव के लिए क्वारंटीन, नमूना संग्रह, स्क्रीनिंग, आवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद एवं राहत उपायों पर ₹ 239.06 करोड़ व्यय किए ।

6.8.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज

कोविड–19 के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने हेतु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएचएफडब्ल्यू) ने कोविड–19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी) प्रारंभ किया (7 अप्रैल 2020)। इसके मुख्य घटकों में आपातकालीन कोविड–19 प्रतिक्रिया, रोकथाम एवं तैयारियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करना, आवश्यक चिकित्सा उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों एवं दवाओं की खरीद, प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं जैव–सुरक्षा तैयारियों सहित निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना शामिल है। राज्य स्वास्थ्य समिति (एनएचएम), को ईसीआरपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

पैकेज के तहत आबंटन का उपयोग राज्यों द्वारा विभिन्न जिलों की आवश्यकता के अनुसार किया जाना था। इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ईसीआरपी पर मार्गदर्शन नोट जारी किए (23 अप्रैल 2020 एवं 6 अगस्त 2020)। ईसीआरपी I एवं ईसीआरपी II के तहत जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए प्राप्त राशि एवं किए गए व्यय का विवरण *तालिका – 6.11* में दर्शाया गया है –

तालिका – 6.11: ईसीआरपी–I एवं ईसीआरपी–II के तहत प्राप्त निधि के विरूद्ध किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएचएम में प्राप्त एवं जारी की गई निधि			एनएचएम स्तर पर उपयोग की गई निधि	एनएचएम द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की गई निधि	कुल व्यय (एनएचएम उपयोग सहित)	शेष राशि
	भारत सरकार	छ.ग. शासन	कुल				
1	2	3	4(2+3)	5	6	7	8(4–7)
ईसीआरपी I[9] 25/03/2020	25.98	17.32	43.30	1.36	41.94	43.30	0
ईसीआरपी I[10] 06/04/2020, 05/08/2020, 25/11/2020, 30/12/2020 26/03/2021 एवं 10/01/2022	118.61	–	118.61	1.66	116.95	109.21	9.40
ईसीआरपी II[11] 25/10/2021 एवं 23/0322022	376.07	250.71	626.78	0	583.31	175.70	451.08
कुल	**520.66**	**268.03**	**788.69**	**3.02**	**742.20**	**328.21**	**460.48**

(स्रोत– एनएचएम, छत्तीसगढ़ द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख से संकलित)

लेखापरीक्षा ने ई.सी.आर.पी. के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की एवं निम्नलिखित बिंदुएं पाई गईः

6.8.3.1 ईसीआरपी II के अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने में विफलता

पूरक दिशा–निर्देशों के कंडिका 2.5 एवं ईसीआरपी II दिशा–निर्देशों के कंडिका 5 (ए) में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईसीआरपी में केवल ऐसे प्रदेयतायें/गतिविधियां शामिल होनी चाहिए, जिन्हें 31 मार्च 2022 तक पूरी तरह से लागू किया जा सके, यानी मार्च 2022 के अंत से पहले निधि का उपयोग किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ईसीआरपी I के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियों के लिए जुलाई 2022 तक ₹ 9.40 करोड़ (7.93 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ईसीआरपी II के तहत अनुमोदित गतिविधियां भी 31 मार्च 2022 के अंत तक पूरी नहीं हुईं, जो ईसीआरपी–II के तहत निधि की मंजूरी के लिए शर्तों में से एक थी। यह भी देखा गया कि एनएचएम, ईसीआरपी II के तहत प्राप्त पूरी राशि ₹ 626.78 करोड़ हस्तांतरित करने में विफल रहा एवं ₹ 583.31 करोड़ कार्यान्वयन इकाइयों को हस्तांतरित

[9] वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए

[10] ₹ 109.21 करोड़ (वित्त वर्ष 20–21) + ₹ 9.40 करोड़ (2021–22 अनंतिम)

[11] ₹ 626.78 करोड़ (वित्त वर्ष 2021–22)

कर दिए एवं शेष ₹ 43.47 करोड़ मार्च 2022 तक एनएचएम के पास रखे गए। इसके अलावा, कुल जारी ₹ 583.31 करोड़ में से कार्यान्वयन इकाइयां केवल ₹ 175.70 करोड़ का उपयोग कर सकीं एवं उनके पास ₹ 407.61 करोड़ (उपलब्ध निधि का 70 प्रतिशत) की अप्रयुक्त राशि पड़ी रही। यह एनएचएम द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है क्योंकि कोविड–19 से संबंधित विभिन्न आवश्यक गतिविधियां जैसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, क्रय गतिविधियां, क्षमता निर्माण गतिविधियां धनराशि जारी होने के बावजूद नहीं की गईं। ईसीआरपी I एवं ईसीआरपी II के अंतर्गत घटक–वार व्यय ***परिशिष्ट – 6.2*** में दिया गया है। प्राप्त कुल निधि में से, कोविड–19 के लिए मुख्य व्यय ***तालिका – 6.12*** में दिया गया है –

तालिका – 6.12 : ईसीआरपी–II के तहत कोविड–19 घटकों की प्रगति

गतिविधि / शीर्ष	आरओपी 2021–22 के अनुसार योजनायें	31 मार्च 2022 तक व्यय	व्यय का प्रतिशत
	(₹ करोड़ मे)	(₹ करोड़ मे)	(प्रतिशत)
कोविड हेतु आवश्यक नैदानिक परीक्षण एवं दवाएं	107.37	62.49	58.2
आरएटी एवं आरटी–पीसीआर सहित लैब	158.74	63.38	39.92
कोविड–19 प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाएँ, जिसमें बफर स्टॉक बनाए रखना भी शामिल है	28.00	30.80	110
स्थल की तैयारी एवं स्थापना लागत सहित तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) संयंत्र (एमजीपीएस के साथ) के लिए सहायता	17.00	0	0
एलएमओ भंडारण टैंक	15.20	0	0
कुल	**326.31**	**156.67**	**48.01**

(स्रोत : एनएचएम द्वारा दी गई जानकारी)

6.8.3.2 ईसीआरपी के अतंर्गत मासिक व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति को सूचित करने में विफलता

पूरक दिशा–निर्देशों[12] की कंडिका 5 एवं ईसीआरपी II के लिए दिशा–निर्देशों की कंडिका 6 में यह प्रावधान है कि राज्यों को मासिक व्यय सुनिश्चित करना होगा एवं कोविड–19 पैकेज की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूपों में क्रमशः हर महीने की 5 एवं 7 तारीख तक भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) को भेजी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएम 2019–22 की अवधि के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने में विफल रहा। यह दर्शाता है कि एनएचएम के पास ईसीआरपी के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था।

[12] 6 अगस्त 2020 को जारी किये गये दिशा–निर्देश

6.8.4 कोविड–19 के अंतर्गत नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों में निधि का उपयोग

वर्ष 2019–21 के दौरान नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों में कोविड–19 के अंतर्गत प्राप्त एवं उपयोग की गई निधि निम्नलिखित *तालिका – 6.13* में दर्शित है –

तालिका – 6.13 : कोविड–19 के अंतर्गत नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों में निधि का उपयोग

(₹ लाख में)

जिला	2019–21		
	प्राप्तियाँ	व्यय	बचत/ (–) अधिक्य
रायपुर	76.12	15.15	60.97
कोरिया	362.75	779.52	–416.77
बालोद	149.6	149.21	0.39
कोण्डागांव	70.00	76.55	–6.55
सुकमा	551.75	551.30	0.45
सूरजपुर	221.24	220.68	0.56
बिलासपुर	0	0	0
कुल	**1431.46**	**1792.41**	**–360.95**

(स्रोतः सीएमएचओ द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2019–21 के दौरान उपरोक्त चयनित सात जिलों को ₹14.31 करोड़ की धनराशि जारी की गई एवं इसके विरुद्ध ₹ 17.92 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.61 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। कोरिया जिले में, अधिक व्यय ₹4.17 करोड़ था , जो उपरोक्त नमूना जाँच किए गए जिलों में सबसे अधिक था।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ शासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के व्यापक लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्वास्थ्य नीति तैयार करने में विफल रही ।

समीक्षा अवधि 2016–22 के दौरान स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटित बजट ₹ 34,100.85 करोड़ (भारत सरकार के अंश ₹ 13,165.17 करोड़ सहित) में से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) ने ₹ 27,989.97 करोड़ (82 प्रतिशत) व्यय किया। इस अवधि में कुल व्यय में छत्तीसगढ़ शासन का अंश 61 से घटकर 58 प्रतिशत हो गया, जबकि भारत सरकार का अंश 39 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले स्वास्थ्य व्यय का प्रतिशत 1.15 एवं 1.64 प्रतिशत के मध्य रहा, जो एनएचपी के अंतर्गत 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कम था। एनएचपी, 2017 में परिकल्पित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर दो तिहाई (66.67 प्रतिशत) व्यय का लक्ष्य 2016–22 के दौरान किसी भी वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हासिल नहीं किया जा सका एवं यह कुल सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यय के 30 से 34 प्रतिशत के मध्य रहा।

वर्ष 2016–22 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय (₹ 2,138.91 करोड़) कुल व्यय

का मात्र 7.64 प्रतिशत था जिसके विरूध्द राजस्व व्यय ₹ 25,851.06 करोड़ था जो कि कुल व्यय का 92.36 प्रतिशत था।

2016–22 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए निधि छत्तीसगढ़ शासन से चार से 526 दिनों के विलंब से प्राप्त हुई।

भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन ने 2019–22 के दौरान राज्य बजट, राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) एवं आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) के माध्यम से कोविड–19 प्रबंधन के लिए ₹ 2,422.80 करोड़ आवंटित किए थे। कोविड–19 की योजना के तहत राज्य बजट से आबंटन की तुलना में ₹ 135.85 करोड़ अधिक व्यय हुआ एवं एसडीआरएफ के तहत ₹ 3.31 करोड़ की बचत हुई। ईसीआरपी के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया एवं कुल ₹ 788.69 करोड़ के आबंटन में से मार्च 2020 से मार्च 2022 के दौरान केवल ₹ 328.21 करोड़ (41.61 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

अनुशंसाएं

छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि :

27 ***शीघ्रातिशीघ्र एक व्यापक राज्य स्वास्थ्य नीति तैयार करें;***

28 ***एनएचपी के लक्ष्यों के अनुरूप स्वास्थ्य पर अपने कुल व्यय में वृद्धि करें;***

29 ***स्वास्थ्य संस्थानों में अधोसंरचना में सुधार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में वृद्धि करें; तथा***

30 ***दिशानिर्देशों का पालन करके आपातकालीन प्रयोजन के लिए आवंटित निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करें।***